अडानी थर्मल पॉवर प्लांट (गोड्डा) के लीये की जा रही भूमि अधिग्रहण पर तथ्यान्वेषण रिपोर्ट

झारखंड जनाधिकार महासभा

(16-17 अक्टूबर,2018)

गोड्डा जिले के दो प्रखंड पोड़ेयाहाट और गोड्डा में लग रही अडानी थर्मल पॉवर प्लांट के लिए की जा रही भूमि अधिग्रहणकी फैक्ट फाइंडिंग 16 और 17 अक्टूबर 2018 को गंगटा गोविंदपुर, माली (आदिवासी ग्राम) और मोतिया गाँव में झारखण्ड जनाधिकार महासभा की ओर से कुमार चन्द मार्डी (गाँव गणराज्य परिषद), बसंत हेतमसरिया (NAPM), विवेक (भोजन का अधिकार अभियान, झारखंड), वीर सिंह और चिंतामणी साहू (आज़ादी बचाओ आन्दोलन,, गोड्डा) के द्वारा की गयी. यह रिपोर्ट वहाँ की परिस्थिति, ग्रामीणों के द्वारा दी गयी जानकारी, अडानी कंपनी की रिपोर्ट और फैक्ट फाइंडिंग टीम के अवलोकन के आधार पर तैयार की गयी है.

रिपोर्ट का सारांश:

अडानी कंपनी के सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर गोड्डा शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर दो प्रखंडो गोड्डा और पोड़ेयाहाट के 9 मौजा के 10 गाँव में 15,000 करोड़ निवेश से 800 मेगावाट के 2 कोयला ज्वलंत थर्मल पॉवर प्लांट लगाने लिएकुल 1363.15 जमीन अधिकृत किया जाना है, इसमें से अभी तक लगभग 500 एकड़ (ग्रामीणों के अनुसार) से ज्यादा जमीन कम्पनी के द्वारा अधिकृत किया जा चुका है. इस पॉवर प्लांट से बिजली उत्पादन कर बांग्लादेश में भेजी जाएगी, झारखंड को किसी अन्य परियोजना से कुल बिजली उत्पादन का 25 प्रतिशत बिजली दी जा सकती है. कंपनी के सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन, पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन जनसुनवाई रिपोर्ट कंपनी के फायदे के अनुसार बनाई गयी, सहमती सभा का ग्रामीणों ने बहिष्कार किया. जमीन अधिग्रहण के लिए प्रशासन भी कंपनी का पूरा सहयोग कर रही है. जमीन अधिग्रहण के लिए ग्रामीणों को डराना, कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाने पर केस मुकदमा दर्ज करना , बगैर सुचना और नोटिस के जमीन को कब्जे में लेना, ग्रामीणों को विस्थापित होने के लिए मज़बूर करना, फसल, पेड़ पौधों और सार्वजनिक स्थल को बर्बाद करना, नियम और कानूनों का खुला उलंघन किया जाना , जीवित व्यक्तियों को मृत्यु घोषित करने जैसे कार्य किये जा रहे हैं.

विस्तृत रिपोर्ट

पॉवर प्लांट अंतर्गत आने वाले गांवों के विषय में:

गोड्डा जिला के दो प्रखंड गोड्डा और पोड़ेयाहाट की 10 गाँव मोतिया, पटवा, गंगटा गोबिंदपुर, नयाबाद, सोंडिहा, रंगानिया, बलियाकिता, पेटबी, गायघाट और माली में कंपनी पॉवर प्लांट के लिए जमीन अधिगृहित करेगी. माली और गंगटा गोविन्दपुर आदिवासी ग्राम हैं इस गाँव में केवल आदिवासी रहते हैं. भारत सरकार की 2011 जनगणना के अनुसार गायघाट को छोडकर 9 गांवों की कुल आबादी 9710 है तथा प्रत्येक गाँव में शिक्षा दर अच्छी है.

पॉवर प्लांट के विषय में झारखण्ड सरकार और अडानी कंपनी के दावे:

अडानी थर्मल पॉवर प्लांट एक लोक परियोजना है, इस परियोजना के स्थापित होने से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर का सृजन, आर्थिक विकास और विधुत उर्जा के निर्यात से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी. कुल बिजली उत्पादन का 25 प्रतिशत बिजली झारखंड को मिलेगी तथा विस्थापन की संख्या शून्य है.

भूमि अधिग्रहण में समस्या:

अधिग्रहित भूमि का विवरण:

सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन रिपोर्ट के तहत अडानी परियोजना को कुल 1363.15 एकड़ जमीन में 1214.49 एकड़ रैयती और 148.66 एकड़ जमीन गैरमजरुआ की जरूरत है. अभी तक पॉवर प्लांट के लिए कंपनी ने 500 एकड़ से ज्यादा भूमि

(ग्रामीणों के अनुसार) **4 गाँव (माली (आदिवासी ग्राम), गंगटा गोविंदपुर (आदिवासी ग्राम), मोतिया और पटवा)** में अधिग्रहण कर ली है, अभी तक घरो के सन्दर्भ में ग्रामीण विस्थापित नही हुए हैं लेकिन जमीन अधिगृहित होने के कारण ज्यादातर प्रभावित परिवारों का रोजगार छीन गया है. माली और गंगटा गोविंदपुर में केवल संथाली आदिवासी निवास करते हैं इन ग्रामीणों का रोजगार कृषि पर निर्भर है, वे रोजगार के सन्दर्भ से विस्थापित कर दिए गये है. कंपनी ने इन चारो गाँव (माली, गंगटा गोबिंदपुर,मोतिया, और पटवा) की पूरी जमीन अधिगृहित करने के साथ और बचे **6 गाँव (पेटवी, बलियाकिता, संधेया, गायघाट, रंगानिया और नयाबाद)** में भूमि अधिगृहित की तो **1000 से ज्यादा व्यक्ति (ग्रामीणों के अनुसार) उस जगह से विस्थापित** कर दिए जाएंगे, ना ही उनके पास जमीन होगी न हीं रोजगार. चार गाँव में **40 से ज्यादा प्रभावित परिवारों की 100 एकड़ से ज्यादा भूमि (ग्रामीणों के अनुसार) अडानी कंपनी ने जबरन अधिगृहित** कर ली है, ये परिवार किसी भी हालात में जमीन नही देना चाह रहे हैं.

ग्रामीणों के तहत 500 एकड़ जमीन में ज्यादातर अधिकृत भूमि **ब्राह्मणों** की है, ज्यादातर प्रभावित ब्राह्मण परिवार कंपनी से मुआवजा ले चुके हैं, ग्रामीणों के द्वारा बताया गया की शुरुआती दौर में वहाँ के जमीन के बदले में मुआवजा निर्धारण के लिए भूमि को 4 भागों में बांटा गया प्रथम, दोवल, कृषि योग्य भूमि और बंजर के हिसाब से अलग अलग मूल्य निर्धारित किया गया था, तब ब्राह्मण भी पॉवर प्लांट के लिए जमीन नही दे रहे थे, लेकिन जब सारे भूमि की एक **कीमत लगभग 50 लाख प्रति एकड़** देने को तैयार हो गयी तो उन्होंने कंपनी को अपनी भूमि दे दी.

वर्तमान स्थिति:

माली गाँव के मैनेजर हेम्ब्रम सहित अन्य पांच परिवारों की **16 बीघा 16 कठ्ठा और 7 धुर (लगभग 15 एकड़) जमीन में लगी धान की फसल, सैकड़ो पेड़-पौधे, श्मशान घाट, बांध और तालाब को कंपनी के द्वारा बर्बाद कर दिया**. ये सभी आदिवासी परिवार जमीन नही देना चाहते. मैनेजर हेम्ब्रम और उनकी पत्नी का कहना है की उनके सारे पैसे धान की फसल में लग गयी थी जोकी अडानी कंपनी **पुलिस प्रशासन के सामने बर्बाद** कर दी गयी बहुत मुश्किल से उनका परिवार चल पा रहा है, उनके परिवार के सभी **लोगो राशन कार्ड से आधार लिंक** नही होने की वजह से उन्हें पूरा राशन नही मिल पाता है.

मोतिया गाँव के वालिस पंडित के पिता गणेश पंडित और पुतली पंडित के पिता **नविन पंडित** के जीवित रहते अडानी कंपनी अपने **सर्वेक्षण में मृत्यु घोषित** कर दी, वालिस पंडित अपनी जमीन देना नही चाहते थे पर कंपनी ने उनकी 2 बीघा जमीन अधिगृहित कर ली गयी है तथा पुतली पंडित ने लाचार होकर अपनी जमीन 2 एकड़ जमीन कंपनी को दे दी और मुआवजा ले लिया.

मोतिया गाँव के राधे पंडित बताते हैं की 2 एकड़ जमीन गंगटा गोविंदपुर गाँव में है जिसे कंपनी ने **रात में पोपलेन मशीन चलाकर सारे मेड और पेड़ पौधे को तोड़ कर इनकी जमीन अधिगृहित कर** ली है, ये मज़बूरी में अब जमीन के बदले मुआवजा लेना चाहते हैं लेकिन इन्हें **वंशावली** बनवा कर लाने बोलकर **6 महीनों** से टाल रहे हैं और मुआवजा नही दे रहे हैं.

मोतिया गाँव के रामजीवन पासवान की एक बीघा जमीन कंपनी के अधिगृहित कर ली है और जमीन अधिगृहित करने के लिए अडानी कंपनी के **सत्यनारायण (फील्ड मैनेजर), अभिमन्यु सिंह (फील्ड मैनेजर) और दिनेश मिश्रा (ऑडिटर) ने रामजीवन पासवान को धमकी (जमीन नही दी तो जमीन में गाड़ देंगे) दी और जातिसूचक गाली दी.** इनलोगों के खिलाफ रामजीवन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाही पर थाने के पुलिस के द्वारा

रिपोर्ट दर्ज नही की. उसके बाद इन्होने सिविल कोर्ट में अपील की लेकिन अभी तक कंपनी के लोगो पर कोई करवाई नही की गयी है. अब भी उनके साथ गलत करने की धमकी दी जाती है.

अन्य आदिवासियों और ग्रामीणों की जमीन डराकर और केस मुकदमे कर जबरजस्ती सैकड़ो एकड़ जमीन अधिग्रहण की जा रही है.

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन लोक जनसुनवाई:

अडानी थर्मल पॉवर प्लांट लगाने के लिए सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन के सन्दर्भ में 6 दिसम्बर 2016 को दो गाँव **मोतिया के खादी ग्रामोद्योग के मैदान और बक्सरा के उच्च विद्यालय में लोक जनसुनवाई** की गयी. इस जनसुनवाई में भाग लेने के लिए कंपनी के कुछ व्यक्तियों के द्वारा दो तरह के **पीले और हरे रंग का कार्ड /गेट पास** चिन्हित व्यक्तियों को दिया गया. चिन्हित व्यक्ति वैसे लोग थे जो प्लांट लगाने के समर्थन में थे, जिनकी जमीन अधिकृत नही होनी थी और दुसरे जगहों से लोगो को जनसुनवाई में भाग लेने के लिए बुलाया गया था.

ग्रामीणों को इस जनसुवाई में भाग लेने के लिए प्रशासन, जनप्रतिनिधि तथा कंपनी के द्वारा सूचना/जानकारी नही दी गयी, जब ग्रामीण जनसुनवाई में भाग लेने पहुंचे तो प्रशासन और कंपनी के लोगो के द्वारा पिला और हरा रंग का गेट पास माँगा जाने लगा, उनके **पहचान पत्र आधार कार्ड और वोटर आईडी को अमान्य** कर उन्हें जनसुनवाई में भाग नही लेने दिया गया. नाराज ग्रामीणों ने सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन लोक जनसुनवाई तथा पॉवर प्लांट लगने का विरोध भी किया.

वातावरण प्रभाव मूल्यांकन लोक जनसुनवाई:

अडानी कंपनी और प्रशासन के द्वारा 5 मार्च 2017 को पर्यावरण जनसुनवाई मोतिया गाँव खादी ग्रामोद्योग मैदानके प्रांगन में की गयी, पर्यावरण जनसुनवाई की सूचना सिर्फ अख़बार के माध्यम से प्रशासन के द्वारा दी गयी, इस जनसुनवाई में **10 किलोमीटर के क्षेत्रफल तक के लोग भाग ले सकते थे**. भूमि बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ता के द्वारा ग्रामीणों को जनसुनवाई की जानकारी दी गयी.

कंपनी के कुछ व्यक्तियों ने पर्यावरण जनसुनवाई में समर्थन के लिएवैसे व्यक्तियों को चिन्हित किया गया जो प्लांट लगने का समर्थन करेंगे और साथ ही साथ उन्हें **सफ़ेद तौलिया भी बांटा गया**, जिससे पता चल पाए की ये उनका समर्थन करने वाले लोग हैं.

भूस्वामी, प्रभावित परिवारों और ग्रामीणों को पुलिस, प्रशासन और अडानी के लोगो के द्वारा जनसुनवाई में भाग लेने से रोका गया, लेकिन पोड़ेयाहाट के विधायक (प्रदीप यादव), भूस्वामी और ग्रामीणों ने जनसुनवाई में भाग नही लेने देने का विरोध किये जाने पर उन्हें शामिल होने की अनुमति दे दी गयी. इस जनसुनवाई में भूस्वामी और ग्रामीणों को उनकी बात रखने नही दिए जा रहे थे जिसका विरोध भी किया जा रहा था, एक महिला जब अपनी बात रखनी चाही तो पुलिस ने उनसे दुर्व्यहार किया और उनको बोलने नही दिया गया, **इस दुर्व्यवहार विरोध में ग्रामीणों और पुलिस के बिच काफी झड़प हुई, ग्रामीणों पर लाठी चार्ज किये गये, हवाई फैरिंग की गयी, आसू गैस छोड़े गये, और ग्रामीणों के तरफ से पत्थरबाजी की गयी. लगभग 500 पुलिस फ़ोर्स (ग्रामीणों के अनुसार) की तैनाती इस जनसुनवाई में की गयी थी.**

जनसुनवाई का विरोध कर रहे लगभग **130 ग्रामीणों पर 107 की नोटिस** भेजी गयी थी.

सहमती सभा:

पर्यावरण जनसुनवाई के बाद तीसरे दिन 8 मार्च 2017 को प्रशासन और अडानी कंपनी के द्वारा सहमती सभा का आयोजन 10 गाँव (कंपनी के द्वारा अधिकृत होने वाली गाँव की भूमि) में होना था, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन जनसुनवाई और पर्यावरण जनसुनवाई की प्रकिया सही नही होने के कारण **ग्रामीणों ने सहमती सभा का बहिष्कार** कर दिया.

कंपनी का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनरिपोर्ट(social impact assessment- SIA):

सर्वेक्षन:कंपनी के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार पॉवर प्लांट परियोजना के लिए भूमि अधिगृहित होने वाले गाँवों के **प्रभावित घर, अतिक्रमनकारी, छोटे एवं अन्य व्यवसायी और भूमि से जुड़े रोजगार वाले व्यक्तियों से सर्वेक्षण किया गया** तथा पॉवर प्लांट लगने के सन्दर्भ **में प्रभावित परिवार, समाज के व्यक्ति, जनप्रतिनिधि और कमजोर वर्गो से चर्चा की गयी, लेकिन प्रभावित परिवार, ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों से किसी भी प्रकार का सर्वेक्षण और चर्चा सरकार और अडानी कंपनी के द्वारा नही की गयी थी.**

SIAरिपोर्ट के तहत परियोजना से प्रभावित परिवारों में **एक भी व्यक्ति तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षायुक्त नही है**, जबकि वहाँ के लोग तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा में शिक्षायुक्त हैं.

SIA रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना में विस्थापन शून्य है, परन्तु लगभग सैकड़ो परिवारों के विस्थापन होने की संभावना है

SIA रिपोर्ट के अनुसार रिहायसी क्षेत्र अधिगृहित होने वाली भूमि से काफी दूर है तथा किसी तरह की सम्पति का नुकसान नही होगा लेकिन धान की फसल और सैकड़ो पेड़ पौधों को बर्बाद कर दिया गया तथा बस्ती के घरो से सटाकर भूमि अधिगृहित की गयी है.

SIA रिपोर्ट के अनुसार कुल जमाबंदियों की संख्या 392 है, इन 392 जमाबंदियों में से7 जमाबंदियाँ प्रधानी/सरकारी हैं तथा 63 जमाबंदी गाँव में नही रहने वाले, जमाबंदियों तक नही पहुँच पाने और जवाब देने से मना करने वाले हैं. कुल 385 जमाबंदी (सरकारी जमाबंदियों को छोडकर) में से 17 प्रतिशत जमाबदियों से सर्वे नही किया गया.

प्रभावित परिवारों का **धर्म केवल हिन्द्** है, SIA रिपोर्ट में दिखाया गया है, जबकि वहाँ के आदिवासियों का कहना है की वे**सरना धर्म** को मानते हैं.

SIA रिपोर्ट मेंभूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव मुल्यांकन जनसुनवाई में ग्रामीणों के द्वारा हाथ उठा कर कंपनी को सहमती दी गयी दिखाया गया, जबकि ग्रामीण जनसुनवाई में भाग नही लिए जाने का और पॉवर प्लांट लगने का विरोध कर रहे थे.

पॉवर प्लांट के लिए ग्रामीणों से ली गयी भूमि अधिग्रहण की सहमती का विडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध नही है.

वातावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट (Environment Impact Assessment- EIA):

EIA रिपोर्ट के अनुसार अडानी थर्मल पॉवर प्लांट परियोजना के लिएप्रत्येक वर्ष 7 से 9 मिलियन टन कोयला 800 मेगावाट विधुत उत्पादन में खपत की जाएगी, अत: इस रिपोर्ट के अनुसार 1600 मेगावाट विधुत उत्पादन के लिए 14 से 18 मिलियन टन (एक करोड़ 40 लाख टन से एक करोड़ 80 लाख टन) कोयला खपत होगी. विधुत उत्पादन के लिए कोयला ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका से लायी जाएगी.

हर वर्ष विधुत उत्पादन के लिए 14 से 18 मिलियन टन कोयला की खपत से प्रदुषण की मात्रा सबसे ज्यादा हो सकती है, इस परियोजना के तहत भारत और बंग्लादेश के बिच 25 वर्ष विधुत सप्लाई की सहमती हुई इससे 25 वर्षों में गोड्डा की भूमि, जलस्तर, हवा, वातावरण, व्यक्तियों और पशु-पक्षियों पर अनियंत्रित मात्रा में प्रदुषण का प्रभाव पड़ेगा

EIA रिपोर्ट के अनुसार अडानी थर्मल पॉवर प्लांट परियोजना के लिए प्रत्येक वर्ष 36 MCMजल (3 करोड़ 60 लाख घन मीटर यानि 466560000000000000000 लीटर जल) खपत की जाएगी. चिर नदी से जल की खपत पूरी की जाएगी, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार चिर नदी मौसमी या केवल बरसाती नदी है जिस कारण इतनी ज्यादा मात्रा में जल की खपत से जल स्तर पर काफी प्रभाव पड़ेगा और पहले से ही गोड्डा जल अभाव क्षेत्र में है.

पर्यावरण पर प्रभाव:

- वायु, जल, और भूमि **प्रदुषण** काफी मात्रा में बढ़ेगी
- पॉवर प्लांट के लिए जल की मात्रा बहुत ज्यादा खपत होगी, जिससे **जलस्तर कम होगा**, नदी, तालाब, कुआँ और अन्य जल स्रोत सुख जाएंगे
- कोयला जलने से आसपास के पेड़ पौधों पर **काली परत** जम जाएगी जिस कारण पेड़ पौधे ऑक्सीजन नही उत्पन्न कर पाएंगे.
- कोयले के धुएं से हवा प्रदूषित होगी तथा अनेकों बीमारी फैलेगी.
- भूमि की फसल उत्पादन क्षमता तथा भूमि की नमी कम होगी

ग्रामीणों की आजीविका पर प्रभाव:

- ग्रामीणों का **विस्थापन** होगा
- **पारम्परिक भूमि** ख़त्म होने के साथ भूस्वामी अपनी जमीन खो देंगे.
- **बटाईदार खेतिहर** को जमीन नही मिलने की वजह से फसल नही उगा पाएंगे और उनके जीवन यापन और रोजगार पर गहरा असर पड़ेगा.
- रबी और खरीफ फसल लगने के मौसम में मजदूरों का **6 महीने का काम** छीन जाएगा
- खेती और मजदूरी पर निर्भर व्यक्तियों को रोजगार मिलने में मुश्किल होगी, क्योंकि वे और दुसरे काम नही जानते
- पालतू पशु और अन्य जानवर काफी प्रभावित होंगे, पालतू पशुओं का **चारागाह के लिए भूमि** ख़त्म हो जाने के पलायन भी होना पड़ेगा
- **सार्वजानिक भूमि** जैसे तालाब, सड़क, बगीचा खो देंगे, तालाब में **मछली पालने वाले व्यक्तियों का रोजगार छीन जाएगा**

प्रशासन का रवैया:

अडानी थर्मल पॉवर प्लांट परियोजना, गोड्डा के लिए जमीन अधिग्रहण से सम्बंधित अब तक की प्रक्रिया जैसे लोक जनसुवाई, सहमती सभा तथा ग्रामीणों का कंपनी के विरोध में प्रदर्शन आदि प्रशासन में कंपनी के साथ दिखी और जमीन अधिग्रहण में कंपनी की मदद की है. हाल ही में बगैर सुचना के माली गाँव में आदिवासीयों और भूमि सम्बंधित जमाबंदियों की जमीन कब्जे ले ली गयी. जिला उपायुक्त, गोड्डा के समक्ष ग्रामीणों ने शिकायत की पर उपायुक्त ने करवाई के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए कंपनी का साथ देते हुए कहा आपकी जमीन सरकार ने अधिगृहित कर ली है, आप अपना मुआवजा ले जा सकते हैं. ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, गोड्डा से शिकायत करने गये तो इन्होने कहा अपने क्षेत्र के थाना में जाकर शिकायत करें.

यहाँ के ग्रामीणों ने कई बार अंचल पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और राज्यपाल को कंपनी के द्वारा की जा रही भूमि अधिग्रहण, ग्रामीणों को प्रताड़ित, जनसुनवाई का विडिओ उपलब्ध कराने तथा अन्य मुद्दे के सन्दर्भ में आवेदन किये लेकीन प्रशासन हमेशा कंपनी के साथ खड़ी दिखी है.

कानून का उल्लंघन:

भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता अधिनियम, 2013/2015 (Jharkhand Right to Fair Compensation and Transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013/2015) के तहत भूमि अधिगृहित की जा रही है.

इस कानून के तहत प्राइवेट कंपनी की **लोक परियोजना** (वैसी परियोजना जो जनहित के फायदे के लिए हो) के लिए सरकार जमीन अधिगृहित कर सकती है तथा प्राइवेट परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लिए **प्रभावित होने वाले परिवारों में से कम से कम 80% की सहमती आवश्यक** है . इस थर्मल पॉवर प्लांट के लिए ऑस्ट्रेलिया से कोयला लायी जाएगी और गोड्डा में बिजली उत्पादन कर **बांग्लादेश** में भेजी जाएगी. इस परियोजना गोड्डा और झारखण्ड के लोगो किसी तरह से फायदा नही हो रहा है, इससे साबित होता है यह लोक परियोजना नही है.

Santhal Pargana Tenancy Act 1949 (SPT), Section 20 के तहत कृषि योग्य भूमि या रैयती भूमि सरकारीया प्राइवेट परियोजनाओं के लिए किसी भी तरीके (बिक्री, दान, गिरवी, लीज या अन्य सहमती) से हस्तांतरित नही किया जा सकता या अधिगृहित नही किया जा सकता है. इस कानून के अनुसार गोड्डा जिला में जमीन अधिग्रहण करना वर्जित है तथा यह कानून सभी लोगो (आदिवासी तथा गैर आदिवासी) पर लागु होती है

झारखंड विधुत निति के तहत अडानी थर्मल पॉवर प्लांट परियोजना से कुल **विधुत उत्पादन का 25 प्रतिशत विधुत झारखंड को इसी परियोजना** से मिलनी चाहिए लेकिन अभी तक किसी भी स्रोत से निश्चित नही हो पायी है.

निष्कर्ष:

यह परियोजना नियमों और कानूनों को तोड़कर लगायी जा रही है. गरीबो और आदिवासियों को प्रताड़ित कर उनके जमीन छीने जा रहे हैं. अडानी के लोगो के द्वारा विस्थापन के प्रतिरोध को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाये जा रहे हैं, गरीबों, आदिवासियों और प्रभावित परिवारों पर केस मुकदमे कर फ़साये जा रहे हैं तथा विस्थापित होने के लिए मजबूर किया जा रहा है तथा इनकी आजीविका और रोजगार छिनी जा रही है. अधिग्रहित की जा रही ज्यादातर जमीन बहुफसलीय है. अडाणी कम्पनी द्वारा जमीन अधिग्रहण के लिए की जा रही मनमानी, गैर कानूनी हरकतों एवं ग्रामीणों पर ज्यादतियों में या तो जिला प्रशासन का सहयोग रहता है या उसपर आँख मूंद ली जाती है. जिला प्रशासन ग्रामीणों की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नही होती है. पूरे क्षेत्र में अडाणी कम्पनी का आतंक छाया हुआ है, जिसकी वजह से लोग खुलकर बोलने से डरते हैं। इस क्षेत्र में पशुपालन भी आय का महत्वपूर्ण जरिया है जिसे ख़त्म की जा रही है. कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र से होने वाले वायु प्रदूषण एवं भारी मात्रा में चारों ओर दूर दूर तक फैलने वाली छाई से प्लांट के आसपास भी खेती करने और रिहाईश इलाको में बहुत मुश्किल होगी। सैकड़ों की संख्या में ताड़ के पेड़ गिराने से ग्रामीणों को दोहरी मार पड़ी है, ग्रामीणों को ताड़ के पेड़ से ताड़ी बेचकर आय हो जाती थी और इसके पत्तों से अपने कच्चे घरों की छत भी छा लेते थे।